लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5124

जिसका उत्तर बुधवार, 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाएगा

सेंधा नमक में अपमिश्रण

5124. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गुजरात में साधारण समुद्री नमक को कृत्रिम रूप से गुलाबी रंग दिया जा रहा है और उसे हिमालयी गुलाबी सेंधा नमक के रूप में गलत तरीके से बेचा जा रहा है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या असली सेंधा नमक का खनन किया जाता है जबकि साधारण नमक को रासायनिक रूप से उसके सदृश बनाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ता धोखा खा रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच करने का प्रस्ताव है ताकि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और लाखों भारतीय उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और विश्वास की रक्षा की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (घ): खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए गुणवत्ता एवं सुरक्षा मानक निर्धारित करते हैं। खाद्य सुरक्षा, मिलावट, लेबलिंग उल्लंघन, गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित मुद्दों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निपटाया जाता है। इन मानकों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का कार्य है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) देश भर में उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खाद्य उत्पादों में रंगों के परीक्षण सहित गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों की जांच के लिए पूरे वर्ष विभिन्न खाद्य उत्पादों, जिनमें नमक भी शामिल है, के नियमित निगरानी अभियान, मॉनिटरिंग, विनियामक निरीक्षण और यादृच्छिक नमूने लिए जाते हैं। यदि कोई खाद्य व्यवसाय संचालक एफएसएस अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे उल्लंघन की प्रकृति के अनुसार जुर्माना, अभियोजन, लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण जैसी दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पिछले वर्ष के दौरान नमक और आयोडीन युक्त नमक के उठाए गए नमूनों और की गई आगे की कार्रवाई का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

सेंधा नमक में अपमिश्रण के संबंध में दिनांक 02.04.2025 लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5124 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले वर्ष के दौरान नमक और आयोडीन युक्त नमक के लिए गए नमूनों और की गई आगे की कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	विश्लेषित नमूनों की संख्या	गैर-अनुरूप नमूनों की संख्या	सिविल मामले			आपराधिक मामले		
			शुरू किए गए मामले	दोषसिद्धि	जुर्माना (रु.)	शुरू किए गए मामले	दोषसिद्धि	जुर्माना (रु.)
2023-24	2952	277	240	312	5831000	12	02	10000

नोट: विश्लेषण किये गये नमूने/ शुरू किए गए मामले/दोषसिद्धि/दण्ड में पिछले वित्तीय वर्षों के आंकड़े शामिल हो सकते हैं।

****